बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

पंचायती राज विभाग के नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय कार्यालय में लिपिक संवर्ग हेतु सेवानिवृत निम्न वर्गीय लिपिकों की सेवा संविदा पर लिये जाने हेतु विज्ञापनः

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक—10000 दिनांक 10.07.2015 में निहित प्रवाधान के तहत सेवानिवृत निम्न वर्गीय लिपिक की सेवा संविदा के आधार पर लिये जाने हेतु सुयोग्य अभ्यर्थियों से विहित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किये जाते है। आवेदन पत्र का विहित प्रपत्र तथा संविदा पर नियोजन हेतु पात्रता एवं सामान्य निर्देश विभाग के वेबसाइट— **https://state.bihar.gov.in/biharprd** पर देखा जा सकता है। ऑनलाईन आवेदन करने की तिथि—प्रकाशन की तिथि से 30.09.2023 अपराह्न 05:00 बजे तक है।

2. संविदा आधारित निम्न वर्गीय लिपिक हेतु आरक्षणवार पदों की संख्या निम्नवत् हैः—

क्र0	पदनाम	पद संवर्ग	पदो की संख्या	वेतन स्तर	आरक्षण कोटि			अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6			7
1	निम्न वर्गीय लिपिक	पंचायती राज विभाग के नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय कार्यालय का लिपिकीय संवर्ग	504	02	कोटि	पुरूष	महिला	
					अनारक्षित	131	71	
					आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	35	15	
					अनुसूचित जाति	51	30	
					अनुसूचित जन जाति	04	01	
					अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	57	34	
					पिछड़ा वर्ग	40	20	

					पिछड़े वर्गो की महिला	00	15	
					कुल	318	186	

3. **संविदा पर नियोजन हेतु पात्रताः–**

(i) आवेदक भारत का नागरिक हो।

(ii) सेवानिवृत निम्न वर्गीय लिपिक का संविदा आधारित नियोजन के लिए उम्र सीमा सामान्य प्रशान विभाग के संकल्प संख्या 10000 दिनांक 10.07.2015 के उपबंधों से आच्छादित होगी।

(iii) चयन मात्र एक वर्ष अथवा नियमित नियुक्ति/प्रोन्नती होने तक के लिए होगा तथा अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष होगी। अर्थात् दिनांक 30.09. 2023 को आवेदक का उम्र 64 वर्ष से अधिक नहीं हो।

4. संविदा नियोजन की शर्तेः–

(i) किसी पद विशेष से सेवानिवृत सरकारी सेवक का चयन उसी पद विशेष अथवा समकक्ष पद के विरूद्ध किया जा सकेगा। उच्च वेतनमान के पद से सेवानिवृत सरकारी सेवक का संविदा पर नियोजन निम्न वेतनमान के पद पर नहीं किया जा सकेगा।

(ii) एक विभाग/जिला से सेवानिवृत सरकारी सेवक अन्य विभाग/जिला में भी नियोजन के लिए पात्र माने जायेंगे।

(iii) चयन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष होगी। चयन प्रथमतः दो वर्षों, अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति होने तक, के लिए होगा तथा अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष तक आवश्यकतानुसार एक–एक साल के लिए उनकी सेवा का विस्तार उनके कार्यों की समीक्षा के उपरांत किया जा सकेगा। विशेष परिस्थिति में संबंधित विभाग द्वारा अपने अधीन सेवानिवृत सरकारी सेवकों का संविदा–विस्तार वित्त विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति से, 65 वर्ष के बाद भी, 67 वर्ष तक किया जा सकेगा।

परंतु वैसे पदों, जिनकी सेवानिवृति की आयु ही 65 वर्ष निर्धारित है, पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष होगी।

(iv) इनके द्वारा किये जा रहे कार्यों की समीक्षा समय–समय पर की जाएगी और कार्य संतोषजनक नहीं होने पर उनकी संविदा रद्द की जा सकेगी।

5. आवेदन की प्रक्रियाः–

(i) संपूर्ण चयन प्रक्रिया का प्रबंधन पंचायती राज विभाग द्वारा किया जायेगा।

6. आवेदन समर्पित करने उपरान्त इसमें त्रुटि सुधार, भूल सुधार और किस अन्य संशोधन हेतु कोई दावा/आपत्ति मान्य नहीं होगा और न ही इसका अवसर दिया जायेगा। आवेदन में दी गई सूचना के आधार पर नियोजन की कार्यवाई की जायेगी।

7. संविदा नियोजन में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण का पालन किया जायेगा। आरक्षण श्रेणी के आवेदक सक्षम प्राधिकार से निर्गत जाति प्रमाण–पत्र आवश्यक रूप से संलग्न करेंगे। पिछड़ा एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का लाभ केवल बिहार राज्य मूल निवासी को क्रिमीलेयर रहित का प्रमाण–पत्र समर्पित करने पर ही देय होगा। क्रिमीलेयर

का प्रमाण पत्र समर्पित नहीं करने पर वे अनारक्षित कोटि में माने जायेगें। महिला आवेदक को नियमानुसार सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित आरक्षण देय होगा।

8. चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति बिहार के किसी भी जिले में की जा सकेगी।

9. आवेदक इस आशय का शपथ–पत्र समर्पित करेंगे कि उनके विरूद्ध (i) कोई निगरानी का मामला नहीं चल रहा है। (ii) कोई विभागीय कार्यवाही नहीं चल रही है। (iii) कोई गंभीर आरोप विचाराधीन नहीं है एवं (iv) सेवाकाल के अंतिम 10 वर्षों में कोई वृहद दण्ड अथवा अन्तिम 05 वर्ष में कोई दण्ड (लघु/वृहद) अथवा बिहार पेंशन नियमावली के संगत प्रावधानों के अधीन पेंशन से कटौती का कोई दण्ड अधिरोपित न हो

10. आवेदक ऑनलाईन आवेदन समर्पित करने के पश्चात् आवेदन का मुद्रित प्रति, सभी प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रति एवं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र कॉउनसेलिंग के समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे। पेंशन भुगतान आदेश (P.P.O) समर्पित करना अनिवार्य होगा।

11. कॉउन्सलिंग हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

12. विभाग कुल रिक्ति से कम पद पर भी संविदा नियोजन कर सकती है।

11.9.23

(किशोर कुमार)
उप सचिव